

कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. 09 ग्रा./स्वा./2019

ग्वालियर दिनांक 05-04-2021

प्रति,

प्राचार्य/ संचालक
सेन्टर जोसफ स्कूल
वार्ड क्रमांक 66 ग्राम पिपरोली कला
ग्वालियर (म.प्र.)


विषय:- अनुमति/अनापत्रि प्रमाण पत्र प्रदान दिये जाने विषयक

संदर्भ:- अपना आवेदन पत्र क्रमांक 07 दिनांक 15-03-2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्रक क्रम में आपको निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत अनुमति/अनापत्रि प्रमाण पत्र सह स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. संस्थान/ स्कूल भवन का प्रति वर्ष संपत्ति कर चार वित्तीय वर्ष में आगामी वर्ष 2021-2022 का माह मार्च 2022 से पूर्व जमा करायेगें। अनुमति रिनूवल शुल्क 10,000/- पूर्व देना होगा।
2. स्कूल/ संस्थानों में अग्नि शामक यंत्रों को लगाना सुनिश्चित करेगें।
3. कचरा प्रबंधक 2000 के अन्तर्गत सूखा एवं गीला कचरा प्रथकरण कर उचित स्थान पर निष्पादन करेगें।
4. छात्रों / छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था करेगें।
5. छात्रों के कमरे में उचित हवा/प्रकाश व्यवस्था हेतु खिड़किया एवं रोशनदान खुले हो अर्थात् वेन्टी लेशन की पूर्ण व्यवस्था हों।
6. छात्रों/स्टाफ को साफ पानी पीने की व्यवस्था हो।

नोट:- उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1. से 06. तक की पूर्ति ना होने की दशा में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा - 248 (16) A के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


स्वास्थ्य अधिकारी (ग्रामीण)
नगर पालिक निगम ग्वालियर
M.L. LIKHORIYA
Health Officer
Municipal Corporation
Gwalior (M.P.)